मु.नं. 278/22 पेमाराम बनाम गणेशराम वगै.

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
| --- | --- | --- |
| | 26/11/25 | पत्रावली पेश हुई। मूल वाद बवजह पैरवी अदम हाजिरी में खारिज हो चुका है अतः प्रा.पत्र औचित्यहीन होने पर खारिज फरमाया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। दर्ज रजिस्टर कायम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रेनवाल |

Reader
Examine & report
Pr. by Adv. Surendra ji
on 01/12/22

न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय सांभरलेक जिला जयपुर राज0

प्रार्थना पत्र सं0 78/2022

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अ0धारा 212रा0टी0ऐ0

पेमाराम पुत्र चन्द्रराम उम्र 65 साल जाति जाट निवासी सेपटो की ढाणी जोधपुरा तन किशनगढ रेनवाल तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राजस्थान।

...प्रार्थी–वादी

बनाम

1– गणेशराम पुत्र चन्द्राराम उम्र 56 साल
2– गोमाराम पुत्र थाना उम्र 55 साल
3– चुन्नीलाल पुत्र थाना उम्र 52 साल
4– जगदीश प्रसाद पुत्र भूराराम उम्र 30 साल
5– सागरमल पुत्र मोहनलाल उम्र 60 साल
6– जोधीदेवी पत्नि भगवानसहाय उम्र 60 साल
7– नरेश पुत्र श्रवणलाल उम्र 25 साल
8– पदमाराम पुत्र थाना उम्र 68 साल
9– बजरंगलाल पुत्र भूराराम उम्र 35 साल
10– विमलादेवी पत्नि श्रवणलाल उम्र 55 साल
11– मन्नाराम पुत्र चन्द्राराम उम्र 67 साल
12– राकेश पुत्र श्रवणलाल उम्र 28 साल
13– श्यामलाल पुत्र चन्द्राराम उम्र 72 साल
14– सुमन पुत्री भागीरथ उम्र 26 साल
15– सीताराम पुत्र भगवानसहाय उम्र 30 साल

पेमाराम

16- हणुताराम पुत्र थाना उम्र 50 साल

17- हेमाराम पुत्र चन्द्राराम उम्र 62 साल

समस्त जाति जाट, समस्त निवासीयान सेपटो की ढाणी जोधपुरा तन कि0रेनवाल तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राजस्थान।

18- तहसीलदार तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

19- सब रजिस्ट्रार तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

... अप्रार्थीगण-प्रतिवादीगण

<u>प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा</u>

मान्यवरजी,

प्रार्थीगण-वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

1- यह कि प्रार्थीगण-वादीगण ने उनवानी वाद माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है।

2- यह कि वादीगण व प्रतिवादी सं01ल017 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 747 रकबा 0.7966 हेक्टेयर, खसरा नंबर 748 रकबा 0.7081 हेक्टेयर, खसरा नंबर 749 रकबा 0.2023 हेक्टेयर, खसरा नंबर 751 रकबा 0.0126 हेक्टेयर किता 4 कुल रकबा 1.7196 हेक्येर वाकै ग्राम रेनवाल पटवार हल्का रेनवाल भू0अभि0नि0क्षेत्र कि0रेनवाल जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिसमें वादी व प्रतिवादी सं01, 11, 13,17 प्रत्येक का 1/16, 1/16 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं02,3,8,16 प्रत्येक का 3/28, 3/28 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं04 व 9 प्रत्येक का 1/32,1/32 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं05 का 1/32 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं06 का 1/81 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं07 व 12 प्रत्येक का 569/46656, 569/46656 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं010

हेमाराम

का 5/729 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं014 का 1/14 हिस्सा है प्रतिवादी सं015 का 65/1296 हिस्सा है जो राजस्व रिकोर्ड में जमाबंदी में इसी अनुसार दर्ज व अंकित है। इसी प्रकार हिस्से अनुसार काबिज काश्त होकर अपनी अपनी आराजीयात का वादी व प्रतिवादी सं01ल017 उपयोग उपभोग करते आ रहे है।

3- यह कि वादग्रस्त आराजीयात मद नंबर 2 में वर्णित वादी व प्रतिवादी सं01ल017 की अविभाजित आराजीयात है जिसमें सभी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजीयात का विधिक रूप से विभाजन नहीं होने से कब्जे काश्त को लेकर वाद विवाद होने की संभावना रहती है तथा सींवमेड कायम करने एवं भूमि को उन्नत विकसित करने में भी परेशानी होती है। इसलिए वादी ने प्रतिवादी सं01ल017 को कई बार वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बोन्डस (अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी) के सिद्धांत के आधार पर भूमि का विधिक रूप से विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी सं01ल017 हमेशा आश्वासन देते रहे कि जब भी समय मिलेगा विधिक रूप से विभाजन करवा लेगे किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का जानबूझकर विधिक रूप से विभाजन नहीं करवाया जा रहा है।

4- यह कि प्रतिवादी सं011 व 13 की नियत में फितूर आया हुआ है और प्रतिवादी सं011 व 13 मनचाही जगह से भूमि का बेचान करने पर आमादा है तथा दीगर व्यक्तियो को वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करवाकर वादी को उसके हक व हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। इसी आशय से दिनांक 20/11/2022 को प्रतिवादी सं011 व 13 अपने साथ कुछ अजनबी व्यक्तियो को साथ लेकर वादग्रस्त आराजीयात पर आये और मनचाही जगह से भूमि का बेचान करने का सौदा किया जिस पर वादी ने उनको बिना विधिक विभाजन करवाये वादग्रस्त भूमि का बेचान करने से मना किया तो प्रतिवादी सं011 व 13 ने वादी को धमकी दी कि वे बिना विधिक विभाजन ही वादग्रस्त भूमि का बेचान करके दीगर अजनबी व्यक्तियो

प्रेमाराम

को कब्जा करवा देगे तथा वादी को जबरन उसके हक व हिस्से की भूमि से बेदखल करेगे। इसलिए वादी को अपने हक व अधिकारो की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

5– यह कि यदि प्रतिवादी सं011 व 13 वादग्रस्त भूमि को बिना विधिक तकासमा करवाये मनचाही जगह से दीगर अजनबी व्यक्तियो को बेचान करके मनचाही जगह कब्जा करवा दिया और वादी को जबरन बेदखल कर दिया तो वादी को असहनीय हानि होगी व अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी व कानूनी पैचेदगीयां उत्पन्न हो जायेगी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं011 व 13 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

– यह कि प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी/वादी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दौराने वाद अप्रार्थी–प्रतिवादी सं011 व 13 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 747 रकबा 0.7966 हेक्टेयर, खसरा नंबर 748 रकबा 0.7081 हेक्टेयर, खसरा नंबर 749 रकबा 0.2023 हेक्टेयर, खसरा नंबर 751 रकबा 0. 0126 हेक्टेयर किता 4 कुल रकबा 1.7196 हेक्टेयर वाकै ग्राम रेनवाल पटवार हल्का रेनवाल भू0 अभि0नि0क्षेत्र कि0रेनवाल जिला जयपुर राजस्थान में प्रार्थी–वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत, व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, ना ही बिना विधिक विभाजन करवाये वादग्रस्त भूमि को रहन बैय मुंतकिल, हस्तान्तरण, बेचान, दान इत्यादि करे, ना ही वादी को बेदखल नहीं करे, ना ही बाजोत करने में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा करे तथा राजस्व रिकोर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। इस सम्बन्ध में तहरीर सब रजिस्ट्रार/तहसीलदार कि0रेनवाल को प्रेषित की जावे।

दिनांक 01-12-2022 पेमाराम

प्रार्थी–वादी

01/12/2022